जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-10.07.2025**

थाना कांधला पुलिस द्वारा घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने की घटना में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 05.05.2025 को थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण द्वारा घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित की गयी थी। घटना के सम्बन्ध में पीड़िता के परिजनो की तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 10.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने की घटना में वांछित 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.फिरोज पुत्र गफ्फार निवासी मौहल्ला खैल थाना कांधला जनपद शामली।

2.साहिब पुत्र मेहराज निवासी मौहल्ला खैल थाना कांधला जनपद शामली।

<u>थाना कांधला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मलकपुर रोड़ पर युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

ज्ञात हो कि दिनांक 09.07.2025 को श्री आजाद पुत्र वकील निवासी ग्राम श्यामगढ़ी थाना कांधला जनपद शामली के भांजे मोहित पुत्र तेजपाल के साथ अभियुक्तगण द्वारा जानलेवा हमला कर जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित की गयी थी। घटना के सम्बन्ध में वादी श्री आजाद की तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 10.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मलकपुर रोड़ पर युवक पर जानलेवा हमला कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1.अनिकेत चौहान पुत्र पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम गढ़ीश्याम थाना कांधला जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10 लीटर कच्ची शराब बरामदः-</u>

दिनांक 09.07.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.अजय पुत्र रोशनलाल निवासी ग्राम लपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध 10 लीटर कच्ची शराब।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये युवती से छेडछाड करने के मामले में लिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

ज्ञात हो आज दिनांक 10.07.2025 को थाना झिंझाना पर युवती नें अभियुक्तगण द्वारा छेड़छाड़ करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। युवती की तहरीर के आधार पर तत्काल थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना झिंझाना पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इसी क्र में आज दिनांक 10.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये युवती से छेडछाड करने के मामले में लिप्त 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1.पदम सिंह पुत्र जबर सिंह निवासी ग्राम बिन्ना माजरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.सावन पुत्र ओमबीर निवासी ग्राम उल्हैनी/ अब्दालनगर थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 15 ग्राम स्मैक व तस्करी में प्रयुक्त मोटर साईकिल बरामदः-</u>

आज दिनांक 10.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 मादक पदार्थ तस्करो को अवैध 15 ग्राम स्मैक व तस्करी में प्रयुक्त मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.इसत्याक पुत्र इसफाक निवासी ग्राम जिजौला थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.नफीस पुत्र खुर्शेद निवासी ग्राम जिजौला थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध 15 ग्राम स्मैक।

2.तस्करी में प्रयुक्त मोटर साईकिल स्पेलण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 जिलाबदर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध छुरा बरामदः-

आज दिनांक 10.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे जिलाबदर अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 जिलाबदर अभियुक्त मुस्तफा पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम तितरवाड़ा को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 01 अवैध छुरा बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त अभियुक्त को जिलाधिकारी शामली के आदेश दिनांक 10.06.2025 को जिलाबदर घोषित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.मुस्तफा पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम तितरवाड़ा थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त-

1.मु0अ0सं0 557/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 343/2019 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 344/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 342/2019 धारा 307 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 413/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 10 यू.पी. गुण्डा एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में अलग अलग 03 मामले में 05 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 5,150/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-</u>

1.-वर्ष 2004 में अभियुक्त अब्दुल करीम पुत्र युनुस निवासी जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 130/2004 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 10.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजजेडी/जेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.- वर्ष 2004 में अभियुक्त प्रवेज उर्फ लाखन उर्फ सद्दू पुत्र मीना उर्फ शमीम निवासी कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 129/2004 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 10.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजजेडी/जेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.-वर्ष 1994 में अभियुक्तगण 1.मोहित पुत्र सतपाल 2.अनुज पुत्र सहदेव निवासीगण ग्राम भाज्जू थाना बाबरी जनपद शामली 3.संजीव कुमार चौधरी पुत्र महिपाल निवासी काका नगर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 232/1994 धारा 147/336/427 भादवि व 2/3 राजकीय संपत्ति नुकसान अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनाँक 10.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुये प्रत्येक को 1,050-1,050/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05-05 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

"आपरेशन क्लीन" अभियान के अन्तर्गत थाना बाबरी शामली पुलिस द्वारा थाना प्रांगण में खड़े एमवी एक्ट के अन्तर्गत कुल 14 वाहन को नीलाम कराये जाने के संबंध मेः-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन क्लीन" अभियान के क्रम में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित समिति व जिलाधिकारी शामली व पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक के निर्देशन में जनपद शामली के थाना बाबरी शामली पर सीजशुदा वाहनों की नीलामी हेतु श्री उप जिला मजिस्ट्रेट बनत शामली द्वारा नामित नायब तहसीलदार शामली श्री गौरव कुमार, क्षेत्राधिकारी थानाभवन श्री जितेन्द्र कुमार, ए0आर0टी0ओ0 शामली श्री रोहित राजपूत, अभियोजन अधिकारी शामली श्री मौ0 आसिफ, थानाध्यक्ष थाना बाबरी शामली श्री राहुल कादयान की मौजूदगी में आज दिनांक 10.07.2025 को थाना बाबरी शामली पर कुल 14 वाहन एमवीएक्ट को थाना प्रांगण में बोली दाताओं के साथ मूल्याकन कर नीलामी कराई गई। 14 वाहनो की सर्वाधिक बोलीदाता श्री नौशाद पुत्र कालू निवासी ननौता जनपद सहारनपुर के पक्ष मे कुल 1,76,000/- रु0 मय 18 प्रतिशत जीएसटी छोडी गई। नीलाम हुए वाहनों से प्राप्त धनराशि राजस्व के रुप मे हुई है।

"आपरेशन क्लीन" अभियान के अन्तर्गत थाना बाबरी पुलिस द्वारा शस्त्र अधिनियम से सम्बन्धित मालो का विनिष्टीकरण हेतु थाना बाबरी के मालखाने में रखे शस्त्र अधिनियम माल मुकदमाती के 28 अभियोगों से सम्बन्धित शस्त्रों व गोवध अधिनियम के 03 मालो को नष्ट कराये जाने के संबंध मेः-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन क्लीन" अभियान के क्रम में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी शामली श्री अरविन्द चौहान व पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के निर्देशन में जनपद शामली के थाना बाबरी पर मुकदमों से सम्बन्धित मालखाने में रखे माल मुकदमाती शस्त्र अधिनियम को विनिष्टीकरण कराये जाने हेतु माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित कमेटी द्वारा द्वारा आदेश निर्गत किये गए थे। उक्त क्रम में आज दिनांक 10.07.2025 को श्री जितेन्द्र सिंह क्षेत्राधिकारी कैराना, श्री मौ0 आशिफ ए0पी0ओ0 शामली व श्री राहुल कादयान थानाध्यक्ष बाबरी जनपद शामली की मौजूदगी मे वर्ष 1995 से 2022 तक के शस्त्र अधिनियम के 28 अभियोगो से सम्बन्धित माल 09 तमंचे 315 बोर, 06 तमंचे 12 बोर, 07 चाकू, 05 छूरे व शस्त्र फैक्ट्री सम्बन्धित 02 तमंचे 315 बोर , 06 अधबने तमंचे व अन्य उपकरण व 03 माल गोवध अधिनियम के 02 लकडी गुटके व 03 छूरे व 02 कुल्हाडी व 01 तराजू को प्राइवेट लुहार को बुलवाकर उपरोक्त को हथौडा, छेनी व ग्राइंडर मशीन आदि से कटवाकर, तुड़वाकर नष्ट किये गये। नष्टिकरण के दौरान फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कराई गयी|

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI